रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D( )7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5, 1980/पौष 15, 1901
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5, 1980/PAUSA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1980

का. आ. 3(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/त. ना./79(2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में क्रम सं. 11-कुड्डालूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष उप-कलक्टर, भूमि-अर्जन-2, नेयवेली" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं. 434/त. ना./79 (2)]

एस. सी. जैन, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1980

S.O. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434/TN/79(2) dated 23rd October, 1979, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification for the existing entry against Serial No. 11. Cuddalore parliamentary constituency, the entry "The Special Deputy Collector, Land Acquisition II Neyveli" shall be substituted.

[No. 434/TN/79(2)]

S. C. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980